बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सां०नि०/स्था०17–05/2019 291 /पटना, दिनांकः– 21/12/21

कार्यालय आदेश

श्री भरत भूषण, तत्कालीन अंचलाधिकारी, फेनहारा, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के पत्रांक–319/स्था० दिनांक–15.03.2019 द्वारा गठित आरोप पत्र के आधार पर गठित आरोप प्रारूप पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 (4) के तहत निदेशालय के पत्रांक–1254 दिनांक–01.07.2019 द्वारा श्री भरत भूषण से अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री भरत भूषण द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक–16.07.2019 के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकृत करते हुए निदेशालय के का०आ०सं०–224 सहपठित ज्ञापांक–1701 दिनांक–04.09.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को संचालन पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।श्री भरत भूषण के विरूद्ध आरोप पत्र के द्वितीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनो का सार में निम्न आरोप गठित किये गये :–

i. वरीय पदाधिकारी को भ्रामक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

ii. कार्य के प्रति लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता तथा आपदा जैसे संवेदनशील विषय पर उदासीनता एवं संवेदनहीनता बरतना।

श्री भरत भूषण के विरूद्ध आरोप पत्र के तृतीय भाग– अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन में निम्न आरोप गठित किये गये :–

i. अंचल अधिकारी, फेनहारा के पत्रांक–671 दिनांक–09.10.217 द्वारा सूची सहित 667 परिवारों का आवासीय मकान क्षतिग्रस्त होने का प्रतिवेदन सौंपा गया। प्रतिवेदन के आलोक में जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के ज्ञापांक–701 दिनांक 19.09.2018 द्वारा मो० 30,06,000/–(तीस लाख छः हजार) रूपये उपावंटन प्राप्त हुआ।

ii. क्षतिग्रस्त मकान प्रभावितों को भुगतान हेतु सूची के साथ अभिलेख तैयार कर अभिलेख में टिप्पणी अंकित करते हुए कि '' सूची सर्वेक्षित एवं सत्यापित नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सकता'' जो कि भ्रामक एवं कर्तव्यहीनता का द्योतक है। सरकार/विभाग को प्रभावितों की सूची प्रेषित करना एवं भुगतान के लिए अभिलेख पर टिप्पणी विरोधाभाषी है। तत्कालीन अंचलाधिकारी के उक्त कृत से वास्तविक लाभुकों को सहाय्य की राशि का भुगतान नहीं हो सका जिससे स्थानीय प्रशासन एवं सरकार की छवि धूमिल हुई एवं पीड़ित सहायता से वंचित हुए।

उक्त प्राप्त आरोप के आलोक में निदेशालय के पत्रांक–1254 दिनांक– 01.07.2019 द्वारा गठित आरोप प्रारूप पर श्री भरत भूषण से अभ्यावेदन की मांग की गयी। अपने अभ्यावेदन में श्री भरत भूषण द्वारा यह कहना कि क्षतिग्रस्त मकान के प्रभावितों को भुगतान हेतु सूची के साथ अभिलेख हस्ताक्षर एवं सत्यापन हेतु प्रभारी लिपिक द्वारा दिनांक–09.10.2017 से पदस्थापन काल तक पारगमन की तिथि–17.07.2018 के बीच

0335 स्था0 1 (का0आ0) (14 दिसंबर 2021) भरत भूषण.